(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F (6) 11/ 2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Dhauladhar

Dated Shimla-2, the

7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-8 /99 dated 23.10.1999, to declare **Dhauladhar as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 944 sq km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others:

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No. FFE-B-F (6)-11/2005 dated 28th July 2010 to include an area of 37 sq. km. in the notified area of 944.00 sq. km of Dhauladhar Wildlife Sanctuary;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final

Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh:

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Dhauladhar Wildlife Sanctuary out of actual ground area of 1117.86 sq. km, 135 sq. km area (comprising of 43 villages list attached as Annexure-I) is hereby de-notified. The remaining area of 982.86 sq. km shall constitute the Dhauladhar Wildlife Sanctuary after rationalization in addition, 37 sq. km area for which intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Government Notification No. FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28th July, 2010 is hereby withdrawn;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the remaining area of 982.86 sq. km as 'Dhauladhar Wildlife Sanctuary' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of the Dhauladhar Wildlife Sanctuary shall be as under:

	Name of Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Dhauladhar Wildlife Sanctuary
1.	Dhauladhar Wildlife Sanctuary	i) Kangra ii) Hamirpur Wildlife Division	NORTH: Starting from the conjuction point of Districts boundary of Chamba, Lahaul & Spiti and Kangra at 5702 mtr height follows the common District boundary of Lahaul and Kangra Districts in the eastern direction upto the conjuction point of Districts

boundaries of Lahaul, Kullu and Kangra Districts passing through Asha Gali at 5033 mtr. Laluni Jot point at 5438 mtr 5508 mtr., 5118 mtr., 6023 mtr., 5934 mtr. Trikalpur Jot at 5741 mtr, 5514 mtr., 5487 mtr. and Mukar Behi at 6069 mtr. height.

EAST: Starting from the conjuction point of District boundary Lahaul, Kullu and Kangra Districts follows the common boundary of Kullu and Kangra Districts upto conjunction point of Districts boundary of Kullu, Mandi and Kangra Districts Shirara ra Tibba 4034 mtr height via Beas Kunde-ri-Dhar, Taintu- ka- Jot at 4996 mtr Hanuman Tibba at 5932 mtr. height Tharod pass point 5516 mtr. height, 5307 mtr., 4988 mtr., 5204 mtr. and Sagar Jot at 4833 mtr.Khliani Jot, Kathi Kukri Jot at 4639 mtr. Makori Dhar 5161 mtr., 4943 mtr., 8494 mtr., 4730 mtr., 4753 mtr., 4758 mtr., 4412 mtr., height Bherlanga pass at 4139 mtr., 4603 mtr., height, Sari Dhar 4210 mtr. and Sari Galu at 3737 mtr., 4042 mtr. upto 4034 mtr.

SOUTH: Starting from Shirara ra Tibba 4034 mtr. follows common Districts boundary of Kangra and Mandi via Garet Thach 3734 mtr. upto Nardu Tibba Thach and follows the downstream of Sari nalla then upstream from Dhanyari Got to Jakhlu Got 3353 mtr. and cross the right side tributaries of Lamba Dag Nal at Gai Got, in upstream follows the ridge at Tarmunda Got, Kiali Got 3667 mtr., Bai Got, cross the Lamba Dag Nal at Lolar Got, moves down side in path, then follows upstream

of Dev Nal via 3693 mtr. on Naru Dhar, Dhundhani Got, 4177 mtr., 3509 mtr. at Sanadurni Got then follows down stream of Uhl river and cross the river at 2666 mtr. Khareod Got then upstream upto ridge top near 3200 mtr. contour of western boundary.

WEST: Starting from ridge top near 3200 mtr. contour along the ridge elevation of 3277 mtr. and 3867 mtr. height between Tatwani Nalla & Uhl river upto 4581 mtr. height point on the common boundary of Chamba and Kangra Districts follows common Districts boundary of Chamba and Kangra boundary upto the conjuction point of Lahaul, Chamba and Kangra Districts along Kanaur Ki Dhar. Thamasar at 5078 mtrs., 5076 mtr. Dangi Dhar 4217 mtr. down upto Ravi river near 2294 mtr. height along Ravi River upstream upto joining point of Paled nalla follows Paled nalla upto ridge near 4759 mtr. height, Nikora pass, Nikora dhar point 5222 mtr., 5416 mtr. and Dhog Dhar point 5535 mtr. upto 5702 mtr. at Northern boundary.

This area is situated within the Geo-coordinates **North** Lat.32°28'12"N & Long.76°54' 05" E **East** Lat.32°25'00"N & Long.77°04'45"E, **South** Lat.32°0 3'34"N & Long.76°55'19" E **West** Lat.32°10'07 "N & Long.76°44'03 "E which falls on Survey of India topo sheet No. 52 D/12, 52 D/15, 52 D/16, 53 H/3 and 53H/4 on scale 1: 50000.

Area of Dhauladhar Wildlife Sanctuary=982.86 sq.Kms.
By Order

Principal Secretary (Forests)to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above

Dated Shimla-2 the

June, 2013

Copy forwarded to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P. 3. All the Heads of Departments of H.P.
- 4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
- 5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
- 6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
- 7. All the Deputy Commissioners in H.P.
- 8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
- 9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh. 10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
- 11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this

12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh. Detail of villages excluded from the existing Dhauladhar wildlife sanctuary:

£ ...

SN	Village
1	Banwad
2	Kuran
3	Deot
4	Sangrehar
5	Ner
6	Sarman
7	Dharman
8	Sarala
9	Uhaldhar
10	Sarota
11	Bakholog
12	Multhan
13	Seri
14	Chherna
15	Swar
16	Judhar
17	Tarmehar
18	Luaii
19	Nalota
20	Baragran
21	Bir
22	Chogan
23	Gunehr
24	Kotli

25	Keori
26	Sujja
27	Lahar
28	Bari
29	Lambahar
30	Rulling
31	Rajgundha
32	Kardhar
33	Kukkargundha
34	Kothikohar
35	Gagal di malhan
36	Chelian di malahan
37	Kohar uprla
38	Anderli malahan
39	Khari malahan
40	Ropru
41	Napota
42	Polling
43	Bhujling
<u> </u>	

हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—11 / 2005-II धौलाधार तारीख शिमला—2 7 जून, 2013 अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—11/99 तारीख 23—10—1999 द्वारा 944.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र **धौलाधार** को वन्य जीव अभ्यारण्य के रुप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एन्वारन्भेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ—I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई—बी—एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य के अधिसूचित 944.00 वर्ग किलामीटर क्षेत्र में 37.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन आशय अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रकिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रकिया का सम्यक् रुप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1—2—2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरुप मौके पर भू०-क्षेत्र 1117.86 वर्ग किलोमीटर में से 135 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (जिसमें 43 गांव पड़ते हैं की सूची उपाबन्ध—I के अनुसार) को एतद्द्वारा अभ्यारण्य में से निकाला जाता है । युक्तिकरण के पश्चात् अब धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य में शेष 982.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से गठित होगा । इसके अतिरिक्त 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जिसकी बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई—बी—एफ (6)—11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा आशय अधिसूचना जारी की गई थी, को एतद्द्वारा वापिस लिया जाता है ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 982.86 वर्ग किलोमीटर के शेष क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से **धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य** घोषित करती हैं।

धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:--

क्रम	वन्य जीव	घटक	धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
संख्या	अभ्यारण्य का	i) जिला	The second secon
	नाम	ii) वन मण्डल	
1	धौलाधार	i) कांगड़ा	उत्तरः 5702 मीटर से जिला की सीमाओं के
		ii) हमीरपुर (वन्य जीव) मण्डल	मिलान बिन्दु से होते हुए लाहौल और कांगड़ा जिलों की संयुक्त सीमाओं से पूर्व दिशा की ओर, लाहौल, कुल्लू और कांगड़ा जिलों के मिलान बिन्दु तक, आशा गेट, 5033 मीटर लालूणी जोत 5438 मीटर, 5508 मीटर, 5118 मीटर, 6023 मीटर और 5934 मीटर त्रिकालपुर जोत 5741 मीटर, 5514 मीटर, 5487 मीटर से होते हुए मुकार बेही 6069
			मीटर की ऊंचाई तक।

पूर्वः जिला लाहौल, कुल्लू और कांगड़ा की सीमाओं के मिलान बिन्दु से होते हुए इसी जिला सीमा पर कुल्लू, मण्डी, और कांगड़ा जिला के मिलान बिन्दु शिरारा रा टिब्बा बिन्दु 4034 मीटर तक जोकि ब्यास कुण्ड—रीधार से होते हुए टेन्टू की जोत 4996 मीटर, हनुमान टिब्बा 5932 मीटर, थरोड दर्रा 5516 मीटर, 5307 मीटर, 4988 मीटर, 5204 मीटर और सागर जोत 4833 मीटर, खल्यानी जोत, काथीकुकरी जोत से 4639 मीटर तक फिर मकोरीधार 5161 मीटर, 4943 मीटर, 8494 मीटर, 4730 मीटर, 4753 मीटर, 4758 मीटर, 4412 मीटर, भेरलान्गा पास 4139 मीटर, 4603 मीटर, सरी धार 4210 मीटर सरी गलू 3737 मीटर, 4042 मीटर से होते हुए शिरारा रा टिब्बा 4034 मीटर तक ।

दक्षिणः शिरारा रा टिब्बा 4034 मीटर से कांगड़ा मण्डी जिला सीमा के साथ—साथ गारेट थाच 3734 मीटर, नारदू टिब्बा थाच सरी नाला के नीचे की तरफ फिर धनयारी गोट के साथ—साथ ऊपर को जाखलू गोट 3353 मीटर फिर दांई तरफ पार करते हुए लम्बा डग सहायक नाला गाई गोट ऊपर की तरफ धार पर तारमुंडा गोट, कयाली गोट 3667 मीटर, बाई गोट, लम्बा डग नाल को पार करते हुए लौहार गोट फिर नीचे मुड़ कर रास्ते के साथ देव नाला के ऊपर की तरफ 3693 मीटर से होती हुई नारु धार पर धंधनी गोट, 4177 मीटर, 3509 मीटर सानादूरनी गोट से होते हुए ऊहल नदी में नीचे की तरफ जाते हुए 2666 मीटर खरयोड गोट फिर नाले में ऊपर की तरफ धार कर की चोटी 3200 मीटर कन्टूर तक।

पश्चिमः धार पर बिन्दु 3200 मीटर से होते हुए इसी कन्टूर के साथ—साथ 3277 मीटर और बिन्दु 3867 मीटर की ऊंचाई जोकि तत्तवाणी नाला व ऊहल नदी के बीच में है फिर बिन्दु 4581 मीटर से होते हुए जिला सीमा चम्बा व कांगड़ा के साथ—साथ लाहौल, चम्बा व कांगड़ा जिला सीमा

मिलान बिन्दु तक, कनौर की धार पर से थामस 5078 मीटर, 5076 मीटर, दांगी धार 4217 मीट से नीचे की ओर राबी नदी 2294 मीटर व नजदीक फिर राबी नदी के साथ—साथ पले नाला के मिलान बिन्दु से पलेड नाला व साथ—साथ 4759 मीटर चोटी, निकोरा पार निकोरा धार पर बिन्दु 5222 मीटर, 5416 मीट और डोघ धार बिन्दु 5535 मीटर से बिन्दु 570 मीटर उत्तरी सीमा आरम्भ बिन्दु तक।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः उत्तर अक्षांश 32º 28' 12" उत्तर और देशान्तर 76º 54' 05" पूर्व । पूर्व अक्षांश 32º 25' 00" उत्तर और देशान्तर 77º 04' 45" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 32º 03' 34" उत्तर और देशान्तर 76º 55' 19" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 32º 10' 07" उत्तर और देशान्तर 76º 44' 03" पूर्व यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ए / 15, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफलः 982.86 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार । दिनांक शिमला—2, 7 जून, 2013

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
- 2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
- 5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
- 6. समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
- 7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
- 8. समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
- 9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
- 11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छाफी जावें ।

12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

गांव की सूची जो धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य से बाहर किये जाने हैं

1 (J) VH	गांव का जाए
क्र सं. 1	गांव का नाम
2	वनबाड
3	कुरान
4	दयोट
5	संगरैहड़ नेर
6	सरमण
7	धारमण
8	सराला
9	उहल धार
10	सरोटा
11	बाकोलोग
12	मुलथान
13	सेरी
14	छेरना
15	स्वार
16	जुधार
17	तरमेहड़
18	लुआही
19	नलोटा
20	बड़ाग्रां
21	बीड़
22	चौगान
23	गुमेहड़
	कोटली
25	क्योरी
26	सुज्जा
	लाहड़
	बाड़ी
	लम्बाहड़
	रू लिंग
	राजगुन्धा
	करधाड़
	कक्डगुन्धा

	34	कोठीकोहड़
	35	गगाल दी मलाहं
	36	चेल्लियां दी मलांह
	37	कोहड़ उपरला
	38	अन्धरली मलांह
	39	खड़ी मलाह
	40	रोपडू
ĺ	41	नपोटा
]	42	पोलिंग
Ĺ	43	भुजलिंग